भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2967
दिनांक 26 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

15वें वित्त आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन

2967 श्री कार्तिकेय शर्माः

क्या**पंचायती राज**मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को निधियों के अंतरण, कार्यों और पदाधिकारियों के संबंध में 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है, तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) पीआरआई द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं, अनुसूचित जातियों (एससी) और अन्य पिछड़ा वर्गों सहित हाशिये पर रहने वाले समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय लागू किए गए हैं; और

(ग) क्या उनकी नेतृत्वकारी भूमिकाओं को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष पहल शुरू की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री

(प्रो. एस. पी. सिंह बघेल)

(क)"पंचायत", "स्थानीय सरकार"होने के नाते, एक राज्य विषय है और भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची (अनुच्छेद 246) की राज्य सूची का हिस्सा है। भारत के संविधान के भाग IX में अनुच्छेद 243 के अनुसार तीन/दो स्तरों वाली पंचायतों की स्थापना करना राज्य का काम है। पंचायतों को धन, कार्य और पदाधिकारियों का हस्तांतरण और बुनियादी ढाँचागत सुविधाएँ प्रदान करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 केंद्रीय वित्त आयोगों को संघ, राज्यों और उनके संबंधित स्थानीय निकायों के वित्त की स्थिति का आकलन करने और राज्यों और स्थानीय निकायों को विभिन्न उद्देश्यों के लिए करों के बंटवारे के साथ-साथ अनुदानों की सिफारिश करने का आधार प्रदान करता है। वित्त आयोग के अनुदान का उपयोग ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) द्वारा वेतन या अन्य स्थापना व्यय

को छोड़कर संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में निहित 29 विषयों के तहत स्थान विशेष की जरूरतों के लिए किया जा सकता है।

पंचायती राज मंत्रालय ने कई उपाय किए हैं, जिनमें पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को शक्तियों, निधियों, कार्यों और पदाधिकारियों के प्रभावी हस्तांतरण और उनकी क्षमता निर्माण पर राज्यों को समय-समय पर दिशा-निर्देश/सलाह प्रदान करना शामिल है।

वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों पर पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा जारी परिचालन दिशा-निर्देशों के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के सभी स्तरों को 15वें वित्त आयोग के अनुदान जारी किए जा रहे हैंराज्यों में ग्रामीण स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को 15वें वित्त आयोग के अनुदानों के आवंटन और जारी राशि का विवरण अनुबंध में दिया गया है।

पंचायती राज मंत्रालय ने कई उपाय किए हैं, जिनमें प्रभावी हस्तांतरण, पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के क्षमता निर्माण आदि पर समय-समय पर राज्यों को दिशानिर्देश/सलाह प्रदान करना शामिल है।

वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों पर पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा जारी परिचालन दिशा-निर्देशों के अनुसार 15वें वित्त आयोग के अनुदानों की सिफारिश/जारी की जा रही है। राज्यों में ग्रामीण स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को 15वें वित्त आयोग के अनुदानों के आवंटन और जारी राशि का विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(ख) और (ग) संविधान का भाग-IX, पंचायतों से संबंधित है, जो पंचायत की सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव कराने के साथ-साथ पंचायतों में अध्यक्षों के पदों के लिए प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष चुनाव कराकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करता है, ताकि पंचायती राज व्यवस्था के तीन स्तरों की स्थापना की जा सके।अनुच्छेद 243D महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को पंचायती राज संस्थानों (PRIs) में कुल सीटों और अध्यक्ष पदों का एक आनुपातिक आरक्षण प्रदान कर उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है।राज्यों को नागरिकों के पिछड़े वर्ग के पक्ष में किसी भी स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के पदों या सीटों के आरक्षण के लिए प्रावधान करने का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा, संविधान का अनुच्छेद 243छ आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजना तैयार करने और उनके कार्यान्वयन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करता है।

पंचायती राज संस्थाओं के लिए संवैधानिक प्रावधानों को लागू करने के लिए राज्यों के साथ लगातार अनुवर्ती कार्रवाई के कारण, 21 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रोंने अपने संबंधित राज्य पंचायती राज अधिनियमों/नियमों के तहत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान करके एक कदम आगे बढ़ाया है। मंत्रालय राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के माध्यम से निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों सहित निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए व्यापक क्षमता निर्माणका कार्यकरता है। इस प्रयास का

उद्देश्य पंचायतों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की क्षमताओं का विकास करना है ताकि वे प्रभावी ढंग से काम कर सकें और अपनी नेतृत्व भूमिका को कुशलतापूर्वक निभा सकें।

मंत्रालय ने ग्राम सभा की बैठकों से पहले वार्ड सभा और महिला सभा की अलग-अलग बैठकें आयोजित करने की सुविधा के लिए राज्यों को परामर्श जारी किए हैं। ग्राम पंचायत विकास योजनाओं की तैयारी, पंचायतों में योजनाओं के कार्यान्वयन, महिला-केंद्रित गतिविधियों के लिए पंचायत निधि के आवंटन सहित ग्राम सभा और पंचायत बैठकों में महिलाओं की उपस्थिति और भागीदारी बढ़ाने के लिए राज्यों को परामर्श जारी किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, इस मंत्रालय ने सतत विकास लक्ष्यों (LSDGs) के लोकलाइजेशन के अंतर्गत 'थीम9- महिला अनुकूल ग्राम पंचायत' के तहत चयनित ग्राम पंचायतों (GPs) को सशक्त बनाने की प्रक्रिया शुरू की है। इस संबंध में, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने प्रत्येक जिले में एक ग्राम पंचायत की पहचान की है और उन्हें महिला अनुकूल आदर्श ग्राम पंचायत (MWFGP) में परिवर्तित करने के लिए चुना है।

मंत्रालय ने प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करने और मास्टर ट्रेनर्स के एक समूह को प्रशिक्षित करने के लिए यूनाइटेड नेशंसपॉपुलेशनफंड (पहले यूनाइटेड नेशंसफंडफॉरपॉपुलेशनएक्टिविटीज - UNFPA) के साथ नॉलेज पार्टनर के रूप में साझेदारी भी की है। यह साझेदारी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को उनके जमीनी स्तर के निर्वाचित प्रतिनिधियों (ERs) और पंचायत राज अधिकारियों की क्षमता को बढ़ाने में मदद करने के लिए की गई है, ताकि महिला अनुकूल विशेषताओं पर केंद्रित आदर्श महिला अनुकूल ग्राम पंचायत का विकास किया जा सके

अनुबंध

दिनांक26.03.2025को उत्तरार्थ राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या2967के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

राज्यों में ग्रामीण स्थानीय निकायों को 15वें वित्त आयोग के अनुदानों के आवंटन और जारी राशि का विवरण (21.03.2025 तक)

(रुपये करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य	2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25	
		आवंटन	जारी	आवंटन	जारी	आवंटन	जारी	आवंटन	जारी	आवंटन	जारी
1	आंध्र प्रदेश	2625.00	2625.00	1939.00	1917.85	2010.00	1976.75	2031.00	1997.45	2152.00	2109.97
2	अरुणाचल प्रदेश	231.00	231.00	170.00	170.00	177.00		179.00		189.00	
3	असम	1604.00	1604.00	1186.00	1186.00	1228.00	1228.00	1241.00	1241.00	1315.00	
4	बिहार	5018.00	5018.00	3709.00	3709.00	3842.00	3842.00	3884.00	3855.33	4114.00	4109.01
5	छत्तीसगढ	1454.00	1454.00	1075.00	1075.00	1114.00	1114.00	1125.00	1125.00	1192.00	1185.25
6	गोवा	75.00	75.00	55.00	55.00	57.00	48.46	58.00	8.62	62.00	
7	गुजरात	3195.00	3195.00	2362.00	2362.00	2446.00	2446.00	2473.00	2473.00	2619.00	
8	हरियाणा	1264.00	1264.00	935.00	935.00	968.00	967.30	979.00	953.59	1036.00	1012.51
9	हिमाचल प्रदेश	429.00	429.00	317.00	317.00	329.00	329.00	332.00	318.04	352.00	229.19
10	झारखंड	1689.00	1689.00	1249.00	1249.00	1293.00	1293.00	1307.00	1307.00	1385.00	
11	कर्नाटक	3217.00	3217.00	2377.00	2375.50	2463.00	2093.55	2490.00	2086.59	2637.00	1120.73
12	केरल	1628.00	1628.00	1203.00	1203.00	1246.00	1246.00	1260.00	1260.00	1334.00	1334.00
13	मध्य प्रदेश	3984.00	3984.00	2944.00	2944.00	3050.00	3050.00	3083.00	2819.24	3265.00	
14	महाराष्ट्र	5827.00	5827.00	4307.00	4267.16	4461.00	3696.71	4510.00	3629.21	4776.00	2239.54

15	मणिपुर	177.00	177.00	131.00	65.50	135.00		137.00		145.00	
16	मेघालय	182.00	182.00	135.00	67.50	140.00		141.00		149.00	
17	मिजोरम	93.00	93.00	69.00	69.00	71.00	71.00	72.00		76.00	
18	नागालैंड	125.00	125.00	92.00	92.00	96.00		97.00		102.00	
19	ओडिशा	2258.00	2258.00	1669.00	1669.00	1728.00	1728.00	1747.00	1746.91	1851.00	1851.00
20	पंजाब	1388.00	1388.00	1026.00	1026.00	1062.00	1062.00	1074.00	1058.35	1138.00	562.93
21	राजस्थान	3862.00	3862.00	2854.00	2854.00	2957.00	2955.34	2989.00	2847.96	3166.00	2803.69
22	सिक्किम	42.00	42.00	31.00	31.00	33.00	33.00	33.00	33.00	35.00	32.34
23	तमिलनाडु	3607.00	3607.00	2666.00	2666.00	2761.00	2761.00	2791.00	2791.00	2957.00	1478.50
24	तेलंगाना	1847.00	1847.00	1365.00	1365.00	1415.00	1415.00	1430.00	1424.18	1514.00	
25	त्रिपुरा	191.00	191.00	141.00	141.00	147.00	147.00	148.00	148.00	157.00	78.50
26	उत्तर प्रदेश	9752.00	9752.00	7208.00	7208.00	7466.00	7466.00	7547.00	7547.00	7994.00	7994.00
27	उत्तराखंड	574.00	574.00	425.00	418.70	440.00	439.21	445.00	444.13	471.00	234.91
28	पश्चिम बंगाल	4412.00	4412.00	3261.00	3261.00	3378.00	3378.00	3415.00	3415.00	3617.00	3472.22
	कुल	**60750.00**	**60750.00**	**44901.00**	**44699.22**	**46513.00**	**44786.31**	**47018.00**	**44529.58**	**49800.00**	**31848.29**
